न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/79 **दायरा दिनांक : 26.05.2022**

उनवान

जसराज सिंह पुत्र लाल सिंह, जाति राजपूत, निवासी बरखेडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां राजस्थान
.... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील किशनगंज, जिला बारां राजस्थान
.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री अनुराग दाधीच व एस.के.राणा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री संदीप सक्सैना अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 22.02.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 2020/00014 निर्णय व डिक्री दिनांक 25.03.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि आराजी खसरा सं. 85 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम बरखेडा, तहसील किशनगंज में अवस्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 25.03.2021 से वाद वादी खारिज किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.03.2021 को प्रकरण तथ्यों से परे व विधि विपरीत पारित किया है निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी खसरा सं. 85 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम बरखेडा, तहसील किशनगंज में स्थित है जिसका कि नये सैटलमेंट के बाद खसरा नं. 139 रकबा 0.5900 हेक्टर गैर मुमकिन तलाई का अंकन है, यह आराजी अपीलांट की पुश्तैनी व राज0 टीनेन्सी एक्ट अमल में आया उससे पूर्व से ही पिताजी के जीवनकाल से ही कब्जे काश्त में चली आ रही है, तथा वर्तमान में भी अपीलांट ही काश्त करता व फसले लेता चला आ रहा है। अपीलांट का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज में धारा 88, 89, 90, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया था, जिसको कि पूर्व में उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज द्वारा खारिज कर दिया गया था तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के यहां से ऊपर वर्णित आराजी की तहसीलदार किशनगंज से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसको तहसीलदार किशनगंज द्वारा दिनांक 23.08.2017 को तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाई गई थी, जिस पर स्पष्ट लिखा है कि मौके पर कोई तलाई नहीं है, न ही नाला है वहां पर समतल भूमि है, चारों तरफ अपीलांट के खातेदारी की कृषि भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित पत्रावली तहसीलदार किशनगंज की सकरात्मक रिपोर्ट के बावजूद तथा मौके पर कोई नाला या तलाई न होकर खातेदारी की आराजी के बीच में समतल आराजी होना बताया गया है, जिसकी कि खातेदारी अपीलांट को दी जानी चाहिए थी, इन सभी तथ्यों को नकारते हुए बिना विवेक का इस्तेमाल किये अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया, जो कि खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 85 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 139 रकबा 0.5900 हेक्टयर पर रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर तथा रेकार्ड एवं गवाहान के बयानात को मध्य नजर रखते हुए अपीलांट को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर अपीलांट का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकन किया जावे तथा निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 29.03.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट की पुश्तैनी है तथा राजस्थान टीनेन्टी एक्ट लागू होने से पूर्व से ही अपीलांट के पिता के जीवनकाल से ही कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा वर्तमान में अपीलांट ही वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है एवं मौके पर तलाई नहीं है। पूर्व में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 12.12.2019 से पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई थी कि सैटलमेंट रिकार्ड व वर्तमान जमाबंदी की भिन्नता पर तहसीलदार से रिपोर्ट लेकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 22.10.2020 शामिल पत्रावली है। कब्जा व मौके की स्थिति के अनुसार अपीलांट को वादग्रस्त भूमि की खातेदारी प्रदान की जाये।

पैरोकार सरकार ने अपने मौखिक बहस में कथन किया कि प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के निर्णय दिनांक 25.03.2021 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गयी है।

अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद संख्या 125/2013 आर.टी.एक्ट की धारा 88, 89, 90, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम बरखेडा, तहसील किशनगंज की आराजी खसरा नं. 85 रकबा 3.13 बीघा किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज है, सेटलमेन्ट से पूर्व यह आराजी वादी के पिता लाल सिंह के खाते एवं कब्जे में थी तथा किस्म गैरमुमकिन तलाई अंकित थी। उक्त ग्राम जागीरी गांव था तथा जागीरी उन्मूलन के पश्थात् स्वतः ही बाई आपरेशन आफला उक्त आराजी का खातेदार कृषक बन चुका है।

अपीलार्थी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस आशय की डिक्री पारित की जाये कि विवादित आराजी खसरा नं० 85 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा किस्म गैरमुमकिन नाला की किस्म परिवर्तन कर राजस्व अभिलेखों में वादी का नाम अंकित किया जाये।

अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 12.05.2015 में निर्णय किया कि वादग्रस्त आंशिक खतोनी बन्दोबस्त के अनुसार अनाधिकृत भूमि कृषि अयोग्य व किस्म गैर मुतलाई दर्ज है तथा नाम उपभोक्ता कालम में काश्तकार का नाम दर्ज नहीं है वर्तमान नकल जमाबंदी ग्राम बरखेडा खाता संख्या 1 के अनुसार उपरोक्त भूमि नदिया–नाले तथा बहेड (चारागाह हेतु) व किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने के कारण नियमन /आवंटन योग्य नहीं होने से वाद खारिज कर दिया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध वादी ने इस न्यायालय में अपील सख्या 115/2015 अन्तर्गत धारा 223 आर. टी. एक्ट दायर की।

माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ने प्रकरण पर सुनवाई करते हुये निर्णय दिनांक 12.12.2019 से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया की सेटलमेन्ट रिकार्ड व वर्तमान जमाबन्दी की भिन्नता पर तहसीलदार से रिपोर्ट लेकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी कोटा के निर्णय की पालना में अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण संख्या 2020/0014 अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 आर.टी. एक्ट दर्ज कर सुनवाई की गयी।

अपीलीय न्यायालय के निर्णय की पालना में प्रकरण में तहसीलदार किशनगंज से रिपोर्ट प्राप्त की गयी जो निम्नानुसार है –

वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2072–75 में ख. नं. 85 रकबा 3.13 बीघा एवं किस्म गै0 मु0 नाला दर्ज रेकार्ड है।

पूर्व सेटलमेन्ट जमाबन्दी संख्या 2016–31 के खाता सं. 52 में ख0 नं० 85 का रकबा 3.11 बीघा एवं किस्म गै०मु० तलाई दर्ज रेकार्ड है उक्त ख0 नं० पर काबिज जसराज सिंह पुत्र लाल सिंह सा० राजपूत ग्राम बरखेडा का कब्जा है।

अतः उक्त दोनों जमाबन्दियों में रकबे में कमी बेशी 0.02 बीघा एवं किस्म में भिन्नता है।

अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 25.03.2021 से वाद खारिज योग्य होने के कारण वाद खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.03.2021 के विरूद्ध अपीलार्थी ने इस न्यायालय में अपील संख्या 2022/79 अन्तर्गत धारा 223 प्रस्तुत की।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने पूर्व में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुये वादग्रस्त आराजी ख० नं० 85 रकबा 3.13 बीघा किस्म गैर मु० नाला जो वर्तमान में खाता सरकार दर्ज है को किस्म परिवर्तन कर स्वयं के नाम खातेदारी प्रदान करने का निवेदन किया।

अपील में वादग्रस्त भूमि ख० न० 85 रकबा 3.13 किस्म गैर मु० नाला वर्तमान जमाबन्दी में खाता सरकार के नाम दर्ज है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। जिसका नियमानुसार नियमन / खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती।

विशेष कथन :–

राजस्व विभाग (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांक प10 (3) राज–6/2001/पार्ट 142 जयपुर दिनाक 06.09.2022 के अनुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 11153/2011 सुओमोटो बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश विभाग दिनांक 29.05.2012 की अनुपालना में जारी परिपत्र क्रमाक प.10 (3) राज–6/2001/पार्ट–5 दिनांक 26.06.2012 की निरन्तरता में यह निर्देश जारी किये जाते हैं राजस्व रेकार्ड में दर्ज कोई भी गैर मुमकिन नाला तालाब नदी बांध अथवा पायतान या अन्य केचनेन्ट एरिया में किसी भी प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन किया जाना प्रतिबंधित है।

अतः वादी की अपील खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का फैसला बहाल रखा जाना उचित होगा।

हमने बहस पर मनन किया । अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा ग्राम बरखेडा, तहसील किशनगंज की आराजी खसरा नम्बर 85 रकबा 3.13 बीघा किस्म गैर मुमकिन नाला है, जो वर्तमान में खाता सरकार में दर्ज है, को किस्म परिवर्तन कर अपीलार्थी के खाते में दर्ज करने की मांग की है। अपीलार्थी ने जिस भूमि को खाते दर्ज करने हेतु अपील की है वो आर. टी. ए. की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का नियमानुसार नियमन/खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.03.2021 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/02/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं प़देन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

– जसराज सिंह पुत्र लाल सिंह, जाति राजपूत, निवासी बरखेडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील किशनगंज, जिला बारां राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

अपील नं **2022 / 79**
मु.द.नं0 **2020 / 00014**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **25.03.2021**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 24 **माह 01** सन् **2024**

श्री अनुराग दाधीच व एस.के.राणा अभिभाषक अपीलांट की ओर से, **श्री संदीप सक्सैना** अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.03.2021 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **22 माह 02 सन् 2024** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)